भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 881
दिनांक 24.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

सौर ऊर्जा-आधारित जल योजनाएं

881. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकरः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के अरनी तालुका के कटोडा गाँव की बेद्या बस्ती में सौर ऊर्जा आधारित पंपों की स्थापना के बावजूद 47 घरेलू लाभार्थियों को अभी भी पेयजल प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) ऐसी सौर-आधारित जल योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;
(ग) क्या सरकार के पास कटोडा (तालुका अरनी, जिला यवतमाल) जैसे गाँवों की सूची है, जहाँ घरों के स्वीकृत होने के बावजूद उन्हें पेयजल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा हो रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है; और
(घ) पेयजल की अनुपलब्धता के कारण घरों का निर्माण रुके हुए होने की स्थिति में, रिजर्व प्रणाली अथवा सौर ऊर्जा पंपों के लिए तत्काल सेवा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या पहल की गई है/किए जाने की संभावना है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क), (ख) और (घ) पेयजल राज्य का विषय है। सौर योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति योजनाओं/परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन का अधिकार राज्य सरकार के पास है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है।

जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गांवों में जल आपूर्ति के लिए अक्षय ऊर्जा के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

i.) अलग-थलग/दूर-दराज/आदिवासी/पहाड़ी गांवों में सौर ऊर्जा संचालित स्टैंडअलोन जल आपूर्ति प्रणाली की स्थापना के लिए अन्वेषण करना;

ii.) एकल ग्राम जल आपूर्ति योजनाओं के लिए सौर ऊर्जा पंपिंग व्यवस्था का अधिमानतः उपयोग करना; और

iii.) बहु-ग्राम जल आपूर्ति योजनाओं के लिए सौर ऊर्जा आधारित पम्पिंग प्रणाली के संयुक्त उपयोग का अन्वेषण करना।

महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, यवतमाल जिले के तालुका अरनी में स्थित पारधीबेड़ा (कटोडा) गांव में 47 परिवारों को वर्तमान में सौर ऊर्जा से चलने वाली दोहरी पंप जल आपूर्ति योजना द्वारा सेवा प्रदान की जाती है, जो अप्रैल 2022 में पूरी हुई थी। इस योजना में 1 एचपी सौर पंप (लगभग 1000 एलपीएच की निर्वहन क्षमता के साथ) और 1000 लीटर क्षमता वाले एलडीपीई भंडारण टैंक का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत सक्रिय रूप से इस योजना के संचालन की निगरानी करती है और निवासियों के लिए पानी की निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रखरखाव और मरम्मत संबंधी कार्य करती है।

(ग) जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरूआत से यवतमाल जिले के ग्रामीण परिवारों के लिए नल जल तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत के समय, केवल 64,926 (~12.42%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, लगभग 3.58 लाख और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 20.07.2025 तक, यवतमाल जिले के 5.23 लाख ग्रामीण परिवारों में से 4.23 लाख (81.06%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

महाराष्ट्र में नल कनेक्शनों का जिला-वार विवरण पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है:

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMState.aspx

****